Result Mitra Daily Magazine

शहरी स्थानीय निकाय और CAG

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में CAG यानि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2015 से 2020 की अवधि के लिये शहरी स्थानीय निकायों यानि ULB से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश किया है, जो UP राज्य से संबंधित है।

➢ रिपोर्ट की मुख्य बातें :

- UP सरकार ULB को सौंपे गए 18 कार्यों में से किसी एक को भी क्रियान्वित करने में विफल रही है।
- ULB के पास शक्तियों एवं संसाधनों की कमी है। ULB को प्राप्त होने वाले कुल धनों में सरकारी अनुदानों का हिस्सा 68.72% है, जबकि वे स्वयं राजस्व के माध्यम से सिर्फ 16.16% धन ही जमा कर पाते हैं।
- कुल 707 ULB राज्य में मौजूद है, लेकिन 2017 में सिर्फ 652 ULB के लिये चुनाव हुए।
- राज्य में केवल 1 कार्य - श्मशान एवं कब्रिस्तानों का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव पूर्णतः ULB के नियंत्रण में था।
- राज्य के कुल 707 ULB में से 17 नगर निगम (NN), 199 नगरपालिका परिषद एवं 491 नगर पंचायत (NP) है, जिसमें से 48% NPP और 44% NP ही भवन योजनाओं को मंजूरी देने का कार्य कर रहे थे।
- इनमें से 50% NPP और 90% NP आवश्यक भवन उपनियमों के बिना ही मंजूरी देने का कार्य कर रहे थे।
- 46 ULB ने वार्षिक विकास योजनाएं एवं वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था।
- 2015-2020 तक ULB को 57108 करोड रूपये प्राप्त हुए, जिनमें स्वयं ULB ने 9230 करोड रूपए राजस्व के रूप में वसूले।
- ULB नगरपालिकाओं मे कर लगाने एवं वसूलने के प्रति सक्रिय नहीं थे।
- जांच में पाया गया कि ULB ने अनिवार्य गृह कर एवं जल-कर नहीं लगाया था।
- 707 में से 65 ULB में पेयजल की आपूर्ति के लिये पाइप की व्यवस्था नहीं है।
- रिपोर्ट में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन जैसी केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में ULB की भूमिका न्यूनतम थी, जिसका प्रमुख कारण धन का अभाव था।

➢ ULB :

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया।
- यह एक्ट जून 1993 से प्रभावी हुआ।
- इस एक्ट के तहत संविधान में भाग IX A जोडा गया।
- इस एक्ट के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोडी गई, जिसमें ULB को 18 विशिष्ट कार्य सौंपे गए तथा इसके संबंध में उन्हें प्राधिकार एवं शक्तियां भी प्रदान की गई।

1. नगरीय योजना बनाना,
2. भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवन निर्माण,
3. सडके एवं पुल
4. सामाजिक-आर्थिक विकास योजना,
5. घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिये जल-व्यवस्था,
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कचरा-प्रबंधन
7. अग्निशमन सेवाएँ
8. नगरीय निर्धनता उन्मूलन के प्रयास,
9. समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण,
10. कांजी हाउस (आवारा पशुओं के लिये)
11. श्मशान-निर्माण एवं प्रबंधन
12. पार्किंग, बस स्टैण्ड एवं मार्गों में विद्युतीकरण,
13. वधशालाओं (Slaughter House) एवं चर्म शोधनशाखाओं का विनियमन,
14. जन्म-मृत्यु से संबंधित आंकडे,
15. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आयामों की अभिवृद्धि
16. खेल मैदान एवं पार्क आदि की व्यवस्था
17. नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण
18. गंदी-बस्ती का उन्नयन

➢ अनुच्छेद 243 X :

- इसमें नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाये जाने की शक्ति का प्रावधान है।
- ULB को इमारत, संपत्ति, मेला, जल आदि पर कर लगाने एवं वसूलने का अधिकार है लेकिन ULB द्वारा लगाए जाने वाले कर राज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित अनुमेय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

Result Mitra TM

Note :- अनुच्छेद 243 Y में ULB के वित्तीय स्थिति के परीक्षण के लिये राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।

➢ CAG :

- अनुच्छेद-148 में वर्णन,
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
- कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो,
- संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अयोग्यता या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जाता है।
- पद छोडने के बाद संघ या राज्य में कोई अन्य सरकारी पद धारण नहीं कर सकता।
- लोक वित्त का संरक्षक एवं संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक,
- वह भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की संचित एवं लोक लेखा निधि के व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
- इसके अलावा वह सरकारी कंपनियों एवं ऐसे सभी निकायों के व्यय का परीक्षण करता है, जिन्हें राज्य या केन्द्र से अनुदान प्राप्त होता है।
- वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य लेखा का भी परीक्षण कर सकता है।
- वह केन्द्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद में पेश करते हैं, जबकि राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपा जाता है, जो उसे राज्य विधानसभा में पेश करते हैं।

Result Mitra